

क्रमांक: एफ-1(49)पीएस/निकाशि/2017-पार्ट/ 557

दिनांक: 16-10-2020


आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2015-16 व 2017-18 रिव्यू डीपीसी एवं वर्ष 2020-21 की नियमित डीपीसी की अनुशंसा अनुसार संबंधित वर्ष की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं० एल-11 (L-11) में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	चयन तिथि
1	वर्ष 2015-16 की रिव्यू डीपीसी- श्री लूणकरण रंगा (से०नि०दि० 31-5-18)	राज० महा०, बीकानेर	14-01-2016
2	वर्ष 2017-18 की रिव्यू डीपीसी- श्री मांगी लाल मीणा (अ०ज०जा०) (से०नि०दि० 31-3-18)	राज० महा०, बांदीकुई	01-04-2017
3	श्री रमेश चन्द सोनी	राज० महा०, कोटपूतली	01-04-2017
4	श्री कृष्ण मुरारी गोयल	राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर	01-04-2017
5	श्री चान्द करण सोनी	राज० महा०, ब्यावर	01-04-2017
6	वर्ष 2020-21 गैर अनुसूचित क्षेत्र - श्री गोपाल लाल शर्मा	राज० महा०, टोंक	01-04-2020
7	श्री धर्मराज मीणा (अ०ज०जा०)	राज० महा०, देवली	01-04-2020
8	श्री पुष्पेन्द्र कुमार माचीवाल	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज०, जयपुर	01-04-2020
9	श्री ज्ञानेश्वर स्वामी	राज० महा०, बीकानेर	01-04-2020


उक्त अधिकारियों में सेवारत अधिकारी अपने पदोन्नत पदों को यथा आवश्यकता अस्थायी तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रभावी होंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 20-10-2020 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। किसी भी कार्मिक की कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।


(सदेश नायक)
आयुक्त,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.-स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कार्मिकों की पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की सूचना अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में अविलम्ब आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा/रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।


16.10.2020
(डॉ० के० एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),